विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा 'राजस्व विभाग में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का आवंटन एवं संपरिवर्तन' सहित 28 अनुच्छेद सम्मिलित हैं जिसमें राशि ₹ 357.23 करोड़ अन्तर्निहित है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2015-16 में ₹ 1,00,285.12 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2016-17 में ₹ 1,09,026 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 44,371.66 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹11,615.57 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 55,987.23 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियां ₹ 53,038.77 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का हिस्सा ₹ 33,555.86 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान ₹ 19,482.91 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

दिसम्बर 2016 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 2,961 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 2,877.01 करोड़ राशि के 8,691 अनुच्छेद जून 2017 के अंत में बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.6)

II. बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर

विभागीय वेब आधारित एप्लीकेशन राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 26.27 करोड़ का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आगत कर को अनियमित रूप से स्वीकार करने के परिणामस्वरूप राजस्व राशि ₹ 3.78 करोड़ कम प्राप्त हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

कर का गलत आरोपण और घोषणा पत्रों के अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत राशि ₹ 23.11 करोड़ का राजस्व अप्राप्त/कम प्राप्त हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

तीन वृत्तों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों के कर निर्धारणों को त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से अंतिम रूप दिया जिसके

परिणामस्वरूप कर का कम निर्धारण और अनुदान की अधिक स्वीकृति राशि ₹ 46.35 लाख की गई।

(अनुच्छेद 2.7)

III. वाहनों पर कर

'राजस्थान में उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट योजना का क्रियान्वयन' पर एक अनुच्छेद से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च 2016 तक राज्य में 1.36 करोड़ वाहन पंजीकृत किये गये थे। जबकि 31 मार्च 2016 तक केवल 36.43 लाख वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट लगाई गई थी, जो इस योजना में शामिल कुल वाहनों की संख्या का 27 प्रतिशत थी।

(अनुच्छेद 3.4.5)

- लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट लगाने के कार्य की निगरानी नहीं की जा रही थी। पंजीयन प्लेट, स्टीकर लगाने में, उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट के प्रतिस्थापन में, प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम में, नेटवर्क कनेक्टिविटी में, वाहनों के सत्यापन में कई कमियां पाई गई।
- उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट उसी वाहन पर लगाई गई है जिसके लिए निर्धारित थी, को सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी या निरीक्षक/उप निरीक्षकों द्वारा वाहनों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.4.8.2)

एकमुश्त कर की राशि ₹ 18.08 करोड़ का भुगतान 4,289 वाहनों के सम्बन्ध में नहीं किया गया अथवा कम किया गया।

(अनुच्छेद 3.5)

अप्रैल 2013 से मार्च 2016 की अवधि हेतु 4,945 वाहनों से सम्बन्धित मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर ₹ 16.13 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.6)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विशेष पथकर एवं प्रभार विलम्ब से जमा कराने पर शास्ति ₹ 1.59 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 3.7)

IV. भू-राजस्व

'राजस्व विभाग में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू-आवंटन एवं संपरिवर्तन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकार द्वारा भूमि आवंटन के लिये कोई नीति नहीं बनाई गई थी। राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन की प्रक्रिया को संहिताबद्ध नहीं किया गया था।
- विभाग की कार्यप्रणाली को नियमित तथा नियंत्रित करने के लिये विभाग ने नियमावली नहीं बनायी थी। नियमावली नहीं होने के परिणामस्वरूप भूमि आवंटन की निगरानी में कमी रही तथा भूमि आवंटन के प्रत्येक स्तर पर निहित उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने में कमी रही।
- सरकार द्वारा समय-समय पर भूमि आवंटन के लिये जारी स्वीकृतियों के विवरण को अभिलिखित करने के लिये कोई प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं थी। आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, उनके निपटान, प्राप्त स्वीकृतियों तथा जिला कलेक्टरों द्वारा किये गये आवंटनों के सम्बन्ध में निगरानी के लिये रजिस्टर के संधारण हेतु विभाग द्वारा कोई प्रावधान नियमों में या आदेश जारी करके नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 4.4.7.1)

- भूमि आवंटन के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटान के लिये ना तो कोई समय सीमा थी और ना ही इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। आवंटन प्रक्रिया पर नियंत्रण का अभाव आवंटन प्राधिकारियों को मनमानी कार्यवाही की सम्भावना उपलब्ध कराता है।

(अनुच्छेद 4.4.7.2)

- विशेष उद्देश्यों के लिये आरक्षित भूमि के उपयोग की निगरानी के लिये जिला कलेक्टर स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं थी। यह ध्यान में आया कि 46 प्रकरणों में 15,066.02 बीघा भूमि जिस उद्धेश्य के लिये आवंटित की गयी थी उस उद्देश्य के लिये उपयोग में नहीं ली गयी। 13 प्रकरणों में भूमि सरकार को प्रत्यावर्तित कर दी गयी, जबकि 33 प्रकरणों में दो से 27 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी प्रत्यावर्तित नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 4.4.7.4)

- अपर्याप्त नियंत्रण एवं निगरानी के कारण स्थानीय निकायों द्वारा बेची गयी राजकीय भूमि की विक्रय-आय में से सरकार की हिस्सा राशि ₹ 424.11 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 4.4.7.5)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ प्रकरणों में 714.69 बीघा भूमि की कीमत आवंटन से पूर्व वसूल नहीं की गयी। जिसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत राशि ₹ 167.39 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही।

(अनुच्छेद 4.4.7.6)

- विभाग द्वारा सात विभागों/उपक्रमों से भूमि की कीमत के रूप में बकाया राशि ₹ 550.57 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 4.4.7.8)

- ग्यारह तहसीलों के 34 प्रकरणों में 600.26 बीघा भूमि का संपरिर्वतन औद्योगिक, आवासीय कॉलोनी, पर्यटन तथा अन्य उद्देश्यों के लिये किया गया। इस प्रकार संपरिवर्तित भूमि का ना तो विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया और न ही समयावधि में वृद्धि हेतु आवेदन किया गया। भू-अभिलेख (जमाबन्दी) भी अपूर्ण छोड़ दिये गये।

(अनुच्छेद 4.4.8.1)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

लेखापरीक्षा ने तीन प्रकरणों में मुद्रांक कर का गलत लागू किया जाना पाया परिणामतः मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.56 करोड़ का कम आरोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.4.1)

उप पंजीयक ने अविलिनीकृत कम्पनी की संपत्ति के बाजार मूल्य ₹ 24.50 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.42 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

(अनुच्छेद 5.6.2)

विभाजन विलेखों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप सम्पत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 17.59 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.23 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.9)

साझेदारी फर्मों जिन्होनें कम्पनी अधिनियम के तहत अपने विधिक स्वरूप को कम्पनी में परिवर्तित किया के विधिक स्वरूप परिवर्तन सम्बन्धी दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं पाये गये। इसके परिणामस्वरूप, सम्पत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 98.53 करोड़ पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 5.91 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.10.1)

उप पंजीयकों ने सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण कम दरों पर किया। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 4.80 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.12)

चौबीस प्रकरणों में साझेदारों के द्वारा साझेदारी फर्मों में ₹ 105.71 करोड़ की अचल संपत्तियां अपनी हिस्सा राशि के रूप में अंशदान की गयी, जिन पर मुद्रांक कर ₹ 6.34 करोड़ के स्थान पर अनियमित रूप से ₹ 0.14 लाख वसूल किये गये।

(अनुच्छेद 5.13.1.1)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम ने लीज डीडों के माध्यम से ₹ 36.45 करोड़ मूल्य के भू-खण्ड़ उद्यमियों को आवंटित किये/बेचे। लीज डीडों का

निष्पादन/पंजीयन नहीं करवाया गया परिणामतः मुद्रांक कर ₹ 2.42 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.13.3.2)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं एक रियायती के मध्य मूल्य ₹ 677.79 करोड़ के एक रियायती अनुबंध का निष्पादन हुआ जो कि ₹ 2.40 करोड़ के स्थान पर मात्र ₹ 100 से मुद्रांकित था।

(अनुच्छेद 5.13.4)

VI. राज्य आबकारी

'भांग की खरीद और बिक्री' पर एक अनुच्छेद से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- विभाग की निगरानी कमजोर थी। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि प्राप्ति और प्रेषण की मात्रा का सत्यापन करने के लिए गोदाम और खुदरा दुकानों के निरीक्षण नहीं किये गये थे। अनुज्ञाधारियों द्वारा भांग की खरीद और विक्रय की मात्रा की जांच व निगरानी करने के लिये लेखों का संधारण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 6.4.4)

- 2013-14 से 2015-16 के दौरान पांच अनुज्ञाधारी समूहों से प्राप्त अनुज्ञाशुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में भांग की बिक्री में कमी हुई थी। विभाग द्वारा समूहों के लिए अनुज्ञाशुल्क का निर्धारण करने के लिए कोई भी मानक नहीं बनाये गये थे।

(अनुच्छेद 6.4.5.1)

सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों ने डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस पर नियम 68(12)(ए) के अन्तर्गत देशी मदिरा के थोक विक्रय पर अनुज्ञाशुल्क ₹ 50 लाख आरोपित नहीं किये।

(अनुच्छेद 6.5)

दो इकाइयों ने उनके लेखों में 8,783.60 लन्दन प्रूफ लीटर शोधित प्रासव को दर्ज नहीं किया था। तथापि, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों ने प्रेषण के समय लागू दर ₹ 116.67 प्रति लन्दन प्रूफ लीटर दर से ₹ 10.25 लाख का आबकारी शुल्क वसूल नहीं किया।

(अनुच्छेद 6.6)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा और देशी मदिरा की रसायनिक जांच रिपोर्टस के परीक्षण से प्रकट हुआ कि अल्कोहल की तीव्रता भारत निर्मित विदेशी मदिरा और देशी मदिरा के लिये निर्धारित सीमा से कम थी। लेखाओं में अल्कोहल की मात्रा का कम लेखांकन किया गया था जिससे सरकार को ₹ 57.06 लाख के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(अनुच्छेद 6.7)

परिधीय क्षेत्र की 17 कम्पोजिट दुकानों/समूहों के लिए ₹ 2.41 करोड़ की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जानी थी किन्तु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों ने इन अनुज्ञाधारियों से कम्पोजिट फीस ₹ 0.87 करोड़ निर्धारित की और वसूल की।

(अनुच्छेद 6.8)

VII. कर-इतर प्राप्तियां

'अनुमति-पत्रों के माध्यम से हटाये गये खनिजों पर अधिशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक अनुच्छेद से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- 46 प्रकरणों में ठेकेदारों ने राशि ₹ 7.71 करोड़ के कार्यों का निष्पादन किया लेकिन अल्पावधि अनुमति-पत्रों के लिये आवेदन नहीं किया था। इनमें से 35 प्रकरणों में अधिशुल्क की वसूली किये बिना तथा खान विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना उन्हें अंतिम बिलों का भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 7.4.4.3)

- राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय ने खान विभाग को तीन कंपनियों द्वारा विन्ड मिल्स के संस्थापन कार्य के दौरान खनिजों के अवैध उपयोग के सम्बन्ध में सूचित किया। तथापि, खान विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 38.14 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 7.4.4.7)

- 48 प्रकरणों में ₹ 10.05 करोड़ की कम मांग कायम हुई, क्योंकि पांच खनि अभियंता कार्यालयों ने खनिज ईंट मिट्टी की कीमत की वसूली ईंट भट्टों की वार्षिक खपत क्षमता के बजाय निरीक्षणों के समय मौके पर पायी गयी ईंटों/ईंट मिट्टी के आधार पर प्रारम्भ की।

(अनुच्छेद 7.4.5.4)